

बीमांकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम

(राशि लाख रु में)

क्रसं	राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	कुल विविध		कुल	
		तिसरी तिमाही के लिए	तिसरी तिमाही तक	तिसरी तिमाही के लिए	तिसरी तिमाही तक
	राज्य				
1	आंध्र प्रदेश	1235.93	3650.98	1235.93	3650.98
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	196.24	583.81	196.24	583.81
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	2501.96	7144.99	2501.96	7144.99
8	हरियाणा	1295.60	3863.80	1295.60	3863.80
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11	कर्नाटक	1464.67	4114.62	1464.67	4114.62
12	केरल	901.53	2466.27	901.53	2466.27
13	मध्यप्रदेश	495.20	1223.33	495.20	1223.33
14	महाराष्ट्र	9314.83	25261.62	9314.83	25261.62
15	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
18	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
19	उड़ीसा	249.28	807.42	249.28	807.42
20	पंजाब	1043.95	3121.06	1043.95	3121.06
21	राजस्थान	953.23	2669.03	953.23	2669.03
22	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
23	तमिलनाडु	4127.69	11197.89	4127.69	11197.89
24	तेलंगाना	1383.17	4297.64	1383.17	4297.64
25	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश	2040.52	5900.72	2040.52	5900.72
28	पश्चिमी बंगाल	1478.20	4285.80	1478.20	4285.80
	कुल (क)	28682.00	80588.98	28682.00	80588.98
	केन्द्रशासित प्रदेश				
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00
2	चंडीगढ़	202.09	624.71	202.09	624.71
3	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
5	दिल्ली की एन सी टी सरकार	2561.72	6939.67	2561.72	6939.67
6	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
7	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00
8	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
9	पुद्दुच्चेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (ख)	2763.81	7564.38	2763.81	7564.38
	भारत के बाहर	0.00	0.00	0.00	0.00
1	कुल (ग)	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग (क +ख+ग)	31445.81	88153.36	31445.81	88153.36

नोट :-

(क) बीमांकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का समग्र योग सभी संगत एन एल फॉर्मों के अनुरूप है।

(ख) सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 10 प्रतिशत से अधिक योगदान देने वाले खंडों / उपखंडों के लिए अलगसे प्रकटन किया गया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों में किए गए संशोधनों को विवरण में शामिल किया गया है।

(घ) तिमाही के लिए एवं तिमाही तक की जानकारी अलग शीटों में उपलब्ध की जानें www.ecgc.in